[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

Notification

New Delhi, 17.11.2025

S.O.- In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s Mitra S.K. Private Limited, Holding No. 22/107, Ward No.- 9, P.O. Khanjanchak, Haldia, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721602, West Bengal, (hereinafter referred to as said agency), as an agency for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals and Ores Group-I, namely Iron Ore, Ferromanganese including Ferromanganese slag and Group-II, namely, Chrome Ore including Chrome Concentrate as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the Official Gazette *vide* number S.O. 3975 dated 20th December, 1965 and S.O. 3978 dated 20th December, 1965 respectively and testing of said minerals and ores at M/s Mitra S.K. Private Limited Laboratory, Holding No. E 5-138/157, Ward no.23, Gangarampur Road. Phase-2 R.H.S. to Behala, Banerjeepara, P.O.-Raipur, P.S. Mahesatala, South 24 Parganas, West Bengal, prior to export of the said Minerals and Ores at Haldia Port, Kolkata Port and Sagar Anchorage Port subject to the following conditions, namely: -

(i) the said agency shall extend adequate cooperation and assistance to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965 and the Export of Minerals and Ores - Group II (Inspection) Rules, 1965; and

(ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from time to time.

[F.No.-K-16014/9/2025- Export Inspection]

(Siddharth Mahajan)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड -3, उप खंड(ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17.11.2025

का.आ. केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम,1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम,1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स मित्रा एस. के. प्राइवेट लिमिटेड, होल्डिंग नंबर 22/107, वार्ड नंबर - 9, पी.ओ. खंजनचक, हल्दिया, जिला- पूर्व मेदिनीपुर, पिन- 721602, पश्चिम बंगाल (जिसे एतद्पश्चात उक्त अभिकरण कहा जाएगा) को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं° का.आ. 3975 तथा दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं° का.आ. 3978 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-।, अर्थात लौह अयस्क, फेरोमैंगनीज सहित फेरोमैंगनीज स्लैग और समूह-।।, अर्थात क्रोम अयस्क सहित क्रोम कॉन्संट्रेट के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन हल्दिया पत्तन, कोलकाता पत्तन और सागर एंकरेज पत्तन में उक्त खनिज और अयस्क का निरीक्षण और उक्त खनिजों और अयस्कों का परीक्षण मेसर्स मित्रा एस.के. प्राइवेट लिमिटेड प्रयोगशाला, होल्डिंग संख्या ई 5-138/157, वार्ड संख्या 23, गंगारामपुर रोड, फेज-2 आर.एच.एस., बेहाला, बनर्जीपारा, डाकघर-रायपुर, थाना महेशतला, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में करने के लिए एक अभिकरण के रुप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्कों के निर्यात - समूह । (निरीक्षण) नियम, 1965 और खनिज और अयस्कों के निर्यात - समूह ॥ (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के तहत निर्दिष्ट निरीक्षण करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा नामित अधिकारियों को पर्याप्त सहयोग और सहायता प्रदान करेगी; और

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा.सं. - के-16014/9/2025-निर्यात निरीक्षण]

सिद्दार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार